न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 145/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

1. हरमीतसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह जाति अराई निवासी मानकसर
2. सुनीता रानी पत्नी श्री गुरतेजसिंह पुत्री श्री नन्दसिंह जाति अराई निवासी मुनक तहसील मुनक जिला संगरूर

वादीगण

बनाम

1. नन्दसिंह पुत्र श्री मेहरसिंह जाति अराई निवासी मानकसार
2. तरसेमसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह जाति अराई निवासी मानकसार
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट (वादी)
2. जिनेन्द्र कुमार बाथम एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

निर्णय दिनांक:– 20.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी नं 2 के पिता प्रतिवादी नं 1 नन्दसिंह पुत्र मेहरसिंह चक नं 6 एन.जी.आर खाता सख्या 71/59 में कुल खाता 1.898 है० के विरासतन खातेदार काश्तकार है व हम वादीगण एंवं प्रतिवादी नं 2 के दादा व प्रतिवादी नं 1 के पिता स्व मेहरसिंह पुत्र पूर्णसिंह के नाम से तहसील राजस्व पीलीबंगा के चक न 8 एन.एस. डब्ल्यू खाता सख्या 45/54 में कुल खाता 11.902 है0 में से 1/3 हिस्सा यानि 3.736 है। नहरी कृषि भूमि है। हमारे दादा मेहरसिंह पुत्र पूर्णसिंह की मृत्यू हो चुकी है। उनकी मृत्यू उपरान्त उक्त कृषि भूमि के एक मात्र मालिक काबिज हमारे पिता प्रतिवादी नं 1 ही है। नकल जमाबंदीया हमराह दावा प्रस्तुत है। यह कि उक्त समस्त कृषि भूमि हमारी विरासतन है जिसमे हम वादीगण एवं प्रतिवादी नं 2 का जन्मजात हक व हिस्सा है। जिसके हम विरासतन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार है। हम वादीगण अपने–अपने परिवार सहित पिता प्रतिवादी नं 1 से अलग रहते हैं। हमारा मुख्य पेशा कृषि है किन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि पिता प्रतिवादी नं 1 के नाम होने के कारण हम वादीगण को बीज, खाद आदि व भूमि विकास हेतू ऋण लेने में काफी असुविधा होती है इसलिए हम वादीगण अपना जन्मजात हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार है। हम वादीगण एवं प्रतिवादी नं 1 व 2 के मध्य घरुतौर पर बटवारा हो चुका है। मुताबिक घरुबटवारा के हम वादीगण के हिस्सा में चक नं 6 एन.जी.आर खाता सख्या 71/59 में कुल खाता 1.898 है० कृषि भूमि ब.हि.ब हिस्सा में आई है. व प्रतिवादी नं 1व 2 के हिस्सा में तहसील पिलीबंगा की चक नं 8 एन.एस.डब्ल्यूल खाता सख्या 45/54 में कुल खाता 11.902 है0 में से 1/3 हिस्सा यानि 3.736 है० नहरी कृषि भूमि ब.हि.ब हिस्सा में आई है। जिसके हम वादीगण विरासतन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार है। वादीगण ने कई दफा प्रतिवादी नं 1 से अनुनय विनय की कि हमारा जन्मजात हिस्सा घरुबटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि के हम वादीगण को ब. हि.ब के खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम से अमल दरामद

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

करवा दो. किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अंत में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित समस्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन है जिसमे हम वादीगण का जन्मजात हिस्सा है हम वादीगण अपने पिता प्रतिवादी नं 1 से अलग रहकर घरुबंटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि पर काश्त करते है इसलिए हम वादीगण को भूमि काश्त हेतू बीज, खाद के लिये ऋण की आवश्यकता बनी रहती है। अत हम वादीगण को घरुबटवारा मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमे का विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया गया तो हम वादीगण को कभी न पुरा होने वाला नुक्सान होगा जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादी नं 3 को भूमे धारक होने के कारण पक्षकार बनाया है इन से किसी प्रकार को डायरेक्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा बाबत इस्तकरार हक व खाता तक्सीम का है जो उंचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है व अंदर मियाद है।

लिहाज़ा बाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमावे कि घोषित किया जावे कि वादीगण चक नं 6 एन.जी.आर खाता सख्या 71/59 में 1. 898 है० के ब.हि.ब के विरास्तन खातेदार काश्तकार है। चक 6 एनजीआर खाता संख्या 71/59 में प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 त्ता 2 जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा मय आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल निसल किया गया। वकील वादी ने प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये :–

1. चक 6 एनजीआर खाता संख्या 71/59 ज.स. 2072–75 प्रदर्श–1
2. चक 8 एनएसडब्ल्यु खाता संख्या 46/64 ज.स. 2075–78 प्रदर्श–2
3. चक 6 एनजीआर के नामान्तरण संख्या 93 दिनांक 30.01.2007 प्रदर्श–3

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अभिभाषक ने बहस में वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दी।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 3 से पैतृक साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनाम प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के बाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा/पैतृक सम्पति अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 6 एनजीआर खाता संख्या 71/59 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 1.771 है. भूमि का वादीगण को बहिस खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का रकबानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.4.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया